## न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा।

भूदान अपील वाद सं0-01/2018 विनोद कुमार एवं अन्य बनाम जगदीश मंडल एवं अन्य

**-: आदेश :-**

14-8-19

श्री विनोद कुमार पे0 स्व0 जय नारायण मंडल एवं मनोज कुमार पे0 स्व0 कैलाश मंडल, सा0 मधुवन, थाना भर्राही ओ.पी., अंचल मधेपुरा, जिला मधेपुरा ने भूदान अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत श्री जगदीश मंडल, कमलेश्वरी मंडल, विजल मंडल, सुरेश मंडल सभी पे0 स्व0 विन्दो मंडल, सा0 मधुवन, थाना भर्राही ओ.पी., अंचल मधेपुरा, जिला मधेपुरा के नाम से निम्नांकित भूमि आवंटित कर दिए जाने के खिलाफ अपील आवेदन इस न्यायालय में दाखिल किया है, जिस पर दिनांक 23-01-2018 से कार्यवाही प्रारंभ की गई। विवादित जमीन का ब्यौरा इस प्रकार है:-

| मौजा/थाना नं0 | खाता | खेसरा | रकवा | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| मधुवन/63 | पुराना-223, नया-954 | पुराना-1145, नया-1682 | 06 डी0 | आम रास्ता |

अभिलेख का अवलोकन किया गया। सुनवाई हेतु 20-02-2018, 07-04-2018, 26-05-2018, 10-07-2018, 24-08-2018, 12-10-2018 एवं 30-11-2018 निर्धारित किया गया। दिनांक 30-11-2018 को वादी की ओर से हाजरी दी गई, परन्तु पुकार करने पर अनुपस्थित पाए गए। अगली सुनवाई की तिथि को उपस्थित होकर पक्ष नहीं रखने की स्थिति में वाद को खारिज करने की चेतावनी दी गई। दिनांक 08-01-2019 को हाजरी देकर अनुपस्थित रहे। दिनांक 12-02-2019 को हाजरी नहीं दिए। दिनांक 15-03-2019 को उनके विद्व अधिवक्ता उपस्थित होकर पक्ष रखा। वाद अंगीकृत करते हुए इस न्यायालय के डी0बी0नं0-359, दिनांक 25-03-2019 के द्वारा विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया। उसके पश्चात् सुनवाई हेतु दिनांक 14-05-2019 एवं 25-05-2019 को रखा गया, लेकिन आवेदक उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखे। दिनांक 25-06-2019 को प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा के साथ हाजरी दी गई। वादी की ओर से हाजरी/ पैरवी नहीं किया गया। प्रतिवादी के विद्व अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए वादी के द्वारा लाए गए झूठे वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया। पुकार करने पर वादी अनुपस्थित पाए गए। पुनः वादी को अंतिम रूप से चेतावनी देते हुए सुनवाई की अगली तिथि 16-07-2019 को रखा गया। उक्त तिथि को भी वादी उपस्थित नहीं हुए एवं प्रतिवादी की ओर लिखित जबाव दाखिल करते हुए वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी को कई अवसर प्रदान किया जा चुका है और सुनवाई में पक्ष रखने हेतु चेतावनी भी दी गई है। परन्तु वाद अंगीकरण कर लिये जाने एवं प्रतिवादी की उपस्थिति हो जाने के वावजूद भी अपना पक्ष रखने हेतु कई तिथियों से वादी अनुपस्थित रहा कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को उक्त वाद में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। ये केवल वाद को लंबित रखना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। अतः उल्लेखित परिपेक्ष्य में वाद में गुण-दोष पर विचार किए बिना आगे की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें एवं एक प्रति मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें।

स मा ह र्त्ता,
मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत,

समाहर्त्ता, मधेपुरा।

डी0 बी0 न0 815 न्या0,मधेपुरा,दिनाक 20/8/2019

प्रतिलिपिः श्री बिनोद कुमार, पिता स्व0 जयनारायण मंडल,/मनोज कुमार, पिता स्व0 कैलाश मंडल, दोनो सा0-मधुवन, पो0 भर्राही थाना+जिला-मधेपुरा/जगदीश मंडल, कमलेश्वरी मंडल, विजल मंडल, सुरेश मंडल, सभी पे0 स्व0 बिन्दो मंडल, सा0-मधुवन, पो0 भर्राही, थाना/जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेब साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।